FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

केहनाराम वगैरा बनाम अणदा वगैरा

किस्म मुकदमा वाद [illegible] नं. 304/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/12/17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछ्छाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/1/18 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24/01/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण संख्या 2 के जवाब हेतु पत्रावली फाईल दिनांक 07/02/18 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDC) बायतु	

Scanned by CamScanner

क्रमांक / वाद / 2018 / प्रार्थीगण

वेदनाराम पु...

07/02/18 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 के वकील जवाब पेश नहीं करना चाहते हो किया गया फाईनल पेश करना चाहते हो फवास किया जाकर पत्रावली दिनांक 12/03/18 को पेश हो।

12/03/18 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी वकील जवाब पेश नहीं करना चाहते हो विप्रार्थी संख्या-2 का जवाब बन्द किया जाता है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की सीमाओं को पुख्ता करने के लिए नेपमबन्दी कर नेपम स्थापित करवाने आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की बन्दी नेपमबन्दी मौके पर सुलह जयाकार कर पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 346 दिनांकः– 12/3/18

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. वेहनाराम पुत्र अमराराम वगैरा 12 जाति जाट निवासी पीराणी साईयों की ढाणी, परेउ तह. गिड़ा जिला बाड़मेर		1. अणदाराम पुत्र भूराराम वगैरा 29 निवासी पीराणी साईयों की ढाणी, परेउ तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 304 / 17

आदेश

मौजा पीराणी साईयों की ढाणी पटवार हल्का परेउ के खेत खसरा नम्बर 723, 881 रकबा क्रमशः 29.02 बीघा, 98.04 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 347 to 351 दिनांकः– 12/3/18

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का परेउ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री वेहनाराम पुत्र अमराराम।
4. विप्रार्थीगण श्री अणदाराम पुत्र भूराराम वगैरा 29।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner